विक्रय की उद्घोषणा
(नियम 20 व 54)
कलक्टर / न्यायालय खनि अभियंता(वसूली) खान एवं भू–विज्ञान विभाग, नागौर

क्रमांक / खअ / नागौर / वसूली / 2024 / 1649 दिनांक 24/9/24

विक्रय–उद्घोषणा

न्यायालय खनि. अभियन्ता (वसूली), खान एवं भू–विज्ञान विभाग,नागौर
एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 230 / 235 / 237) के अधिन चूक करने वाले **श्रीमती नैनी देवी पत्नी श्री अनाराम, श्री धर्माराम, जोगाराम, हड़मानराम पुत्र श्री अनाराम, निवासी बैराथल कलां, तहसील खींवसर, जिला नागौर** द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लाट्स) में सम्पति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय खनि कार्यदेशक खनि कार्यदेशक द्वितीय / सर्वेयर (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री सुरेन्द्र कुमार दिवराया / ~~महेन्द्र सर्वेयर~~** के द्वारा दिनांक 23-10-2024 को 10 AM बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा तथापि किसी भी प्लाट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या ता व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मन्जूर की जावेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना, वैध होगा।

विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं। परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा ये लाट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरीददार घोषित किया जाएगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये बोधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे उंची वोली को मन्जूर करने से इन्कार करना उस हालत में न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड आफ सिविल प्रोसीजर के आर्डर 21 नियम 9 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा।

पीठासीन अधिकारी
एल आर एक्ट 2024
न्यायालय खनि अभियन्ता (वसूली)
नागौर

5. चल सम्पति की दशा में प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।

6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिये तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया है।

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम सम्पति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करादी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा या पन्द्रहवें दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा कर दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि में क्रय मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी के पश्चात् सम्पति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जप्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पति पर या रकम के ऐसे किसी भाग पर जिसके लिये फिर से बेची जाये समस्त हक खो बठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसुल किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों (Encumbrance) से मुक्त बेची जावेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिए लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों, या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों, तालाबों, नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिए या अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार विक्रय किये ज़ा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि के धारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैसा की सरकार उचित समझें।

अनुसूची
वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकावी की देय रकमः—4264650/—
2. कुर्की का खर्चाः— नियमानुसार।
3. विक्रय का, यदि सम्पति नीलाम नहीं की गई है तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः—नियमानुसार

योगः—4264650/—

पीठासीन अधिकारी
एल आर एक्ट 2024
अधीक्षण अभियन्ता (वसूली)
नागौर

बेची जाने वाली सम्पति

खसरों की संख्या	बेची जाने वाली सम्पति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमिधारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारी के विवरण तुलनात्मक के विवरण राज. एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उपधारा 3	दावे यदि कोई जो कि सम्पति के संबंध में रखे गये हो और उसकी किस्म तथा मूल्य के संबंध में कोई भी अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
बाकीदार का क्षेत्र ग्राम – बैराथल कलां, तहसील– खींवसर जिला–नागौर				

बेची जाने वाली सम्पतिः–**बाकीदार के नाम श्रीमती नैनी देवी पत्नी श्री अनाराम, श्री धर्माराम, जोगाराम, हड़मानराम पुत्र श्री अनाराम, निवासी बैराथल कलां, तहसील खींवसर, जिला नागौर खसरा नम्बर 165 महेशपुरा, तहसील खीवसर जिला नागौर।**

क्रमांकः खअ/नागौर/वसूली/2024/1650-55 दिनांकः– 24/9/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, नागौर।
2. श्रीमान् तहसीलदार ,खींवसर।
3. डी.एम.जी.ओ.एम.एस. को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागिय वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
4. पुलिस थाना खींवसर, नागौर को तामील कराने हेतु।
5. खनि कार्यदेशक श्री सुरेन्द्र कुमार दिवराया/श्री महेन्द्र सर्वेयर कार्यालय हाजा।
6. श्रीमती नैनी देवी पत्नी श्री अनाराम, श्री धर्माराम, जोगाराम, हड़मानराम पुत्र श्री अनाराम, निवासी बैराथल कलां, तहसील खींवसर, जिला नागौर

आज दिनांक ....24/9/24.... को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई।

खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भूविज्ञान विभाग
O/C नागौर